(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs Notification S.O. 404 (E) dated the 4* AprH, 2003, notifying "the Constitution of the Review Committee, under section 63 of the Prevention of Terrorism Act, 2002. [Placed in Library. *See* No. L..T. 7578/03]

## MOTION FOR ELECTION TO THE CENTRAL SILK BOARD

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौड़ा आर.पाटील)** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव उपस्थिति करता हूं कि :-

"केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 5 के उपनियम (1) के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से, जैसा सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को केन्द्रीय रेशम बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।

The *question was put and the motion was adopted.*

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### The Faulty Public Distribution System

**श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश)** : आदरणीय सभापति महोदय, मैं दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर उपभोक्ता मामले, खाघ और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**उपभोक्ता मामले, खाघ और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव)** : आदरणीय सभापति महोदय, मैंने इस पर अपना वक्तव्य सदन में रख दिया है और मैं सोचता हूं कि जब सारे मैम्बर्स बोल लेगे तो इस पर ठीक से जवाब देने का मौका मिलेगा। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ...

**श्री सभापति :** आप उसको पढिए। जो वक्तव्य दिया है, उसको पढकर सुनाइए।

**श्री शरद यादव**: महोदय, यह जो पी.डी.एस. इस देश में कई वर्षो से चला आ रहा है, किसी की भी सरकार रही हो, यह सिस्टम किसी न किसी रूप में चालू रहा जबकि सिस्टम में ...(**व्यवधान**)...